न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 33/2022

जगदीश प्रसाद ढाका पुत्र श्री गंगाराम, जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

–अपीलांट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।

–रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम जगदीश ढाका, अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 18/2022 निर्णय दिनांक 27.4.2022

उपस्थितिः–

1 .श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, एडवोकेट ––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक –––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.04.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जगदीश ढाका, मु0नं0 18/2022 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 15.02.2022 में अपीलान्ट का पश्चिमी दिशा में 8 मीटर व उतरी दिशा में 6 मीटर त्रिभुजाकार के अतिक्रमण का तथ्य अंकित कर पटवारी हल्का द्वारा अस्पष्ट व गलत रिपोर्ट पेश हुई है। पटवारी हल्का द्वारा अतिकमण किये जाने के संबंध में विशेष तथ्य व अतिक्रमण किस प्रकार व कितना पुराना किया हुआ है, उक्त तथ्य दर्ज नहीं कर अपूर्ण रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा [illegible] के विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 27.4.2022 पारित किया गया है। [illegible] द्वारा खसरा नंबर 422 से अतिक्रमण हटवाने बाबत एक जनहित याचिका सं0 [illegible]6/2020 माननीय रा0 उच्च

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

न्यायालय, जयपुर में पप्पु वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखी है। इस कारण अपीलांट पर उपरोक्त अतिक्रमियों की राजनैतिक पंहुच व अधिकारियों से मिलीभगत नाजायज दबाव बनाने के लिए अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। इस तथ्य को नजर अंदाज कर अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर बहस पारित किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा जनहित याचिका संख्या 14006/2020 के प्रकरण के जवाब में पीएलपीसी प्रकरण संख्या 08/2021 के पत्र क्रमांक एफ/40 (पप) (प) राज/पीएलपीएल–8/20212514 के द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय,जयपुर में बताया गया है कि खसरा नंबर 422 एवं 4883/481 व 420 में कुल 26 अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें अपीलांट का कहीं पर भी नाम दर्ज नहीं है। इस तथ्य को अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर बहस पारित किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट द्वारा स्वयं की भूमि में स्वयं के आवासीय मकान बनाये गये हैं । उक्त मकानात अपीलांट की स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 4886/423 में स्थित है। अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 422 का सीमाज्ञान भू अभिलेख विभाग द्वारा ईडीएम. मशीन से करवाये जाने व अपीलांट की उपस्थिति में करवाये जाने के तथ्य को नजरंदाज कर अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 27.4.2022 पारित किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर उठाये गये आपति बिन्दुओं व जवाब के तथ्यों का आदेश जैर बहस में कोई विवेचना किये बिना व आदेश जैर बह समें जवाब के तथ्यों का उल्लेख किये बिना आदेश जैर बहस के आधार मनमाने दर्ज किये गये हैं। अपीलांट द्वारा सीमा पर खसरा नं0 422, 4886/423 की सीमाज्ञान करवाये जाने का निवेदन करने पर भी अपीलांटका निवेदन अस्वीकार कर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर बहस पारित कर विधि एवं तथ्य की भूल की गई है। अदालत मातह ने प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाहीकर अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आपति करने के बावजूद अदालत हाजा द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी जाना व माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर के आराधीन रिट पीटिशन में जिला कलक्टर, झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत जवाब में 26 अतिक्रमियों का अतिक्रमण बताया गया था। उक्त जवाब रिपोर्ट में अपीलांट के अतिक्रमण किये जाने का कोई उल्लेख अंकित नहीं था, ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने के समय अतिक्रमी बताया गया था। इस प्रकार पूर्व रिपोर्ट होने के बावजूद अचानक अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली आदेश पारित करना न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं है, इसलिए आदेश 27.4.2022 खारिज होने योग्य है। अपीलांट का पुनः निवेदन है कि खसरा नंबर 422 व अपीलांट की कृषि भूमि के खसरा नंबर 4886/423 का सीमाज्ञान भू अभिलेख विभाग सीकर ई.डी.एम मशीन/जी.पी.एस. के माध्यम से करवाये, प्रार्थी सीमाज्ञान व नपती का खर्चा वहन करने को तैयार है। तथाकथित विवादित अतिक्रमण के संबंध में सक्षम विभाग के उच्चाधिकारियों की कमेटी गठित कर सीमाज्ञान नहीं करवाये जाने की सूरत तक अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित जैर बहस प्रभावशून्य घोषि किया जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 27.4.2022 को अपास्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 15.02.2022 में अपीलान्ट का पश्चिमी दिशा में 8 मीटर व उतरी दिशा में 6 मीटर त्रिभुजाकार के अतिक्रमण का तथ्य अंकित कर पटवारी हल्का द्वारा अस्पष्ट व गलत रिपोर्ट पेश हुई है। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में विशेष तथ्य व अतिक्रमण किस प्रकार व कितना पुराना किया हुआ है, उक्त तथ्य दर्ज नहीं कर अपूर्ण रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 27.4.2022 पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 422 से अतिक्रमण हटवाने बाबत एक जनहित याचिका सं0 14006/2020 माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में पप्पु वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखी है। इस कारण अपीलांट पर उपरोक्त अतिक्रमियों की राजनैतिक पंहुच व अधिकारियों से मिलीभगत नाजायज दबाव बनाने के लिए अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा जनहित याचिका संख्या 14006/2020 के प्रकरण के जवाब में पी.एल.पी.सी. प्रकरण संख्या 08/2021 के पत्र कमांक एफ/40 (पप) (प) राज/पी.एल.पीएल–8/2[illegible] के द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय,जयपुर में बताया गया है कि खसरा नंबर 422 व [illegible]883/481 व 420 में कुल 26 अतिकमियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें अपीलांट का कहीं पर भी नाम दर्ज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट द्वारा स्वयं की भूमि में स्वयं के आवासीय मकान बनाये गये हैं । उक्त मकानात अपीलांट की स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 4886/423 में स्थित है। अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 422 का सीमाज्ञान भू अभिलेख विभाग द्वारा ईडीएम. मशीन से करवाये जाने व अपीलांट की उपस्थिति में करवाये जाने के तथ्य को नजरंदाज कर अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 27.4.2022 पारित किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर उठाये गये आपति बिन्दुओं व जवाब के तथ्यों का आदेश जैर बहस में कोई विवेचना किये बिना व आदेश जैर बहस में जवाब के तथ्यों का उल्लेख किये बिना आदेश जैर बहस के आधार मनमाने दर्ज किये गये हैं। अपीलांट द्वारा सीमा पर खसरा नं0 422, 4886/423 की सीमाज्ञान करवाये जाने का निवेदन करने पर भी अपीलांटका निवेदन अस्वीकार कर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर बहस पारित कर विधि एवं तथ्य की भूल की गई है। अदालत मातह ने प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाहीकर अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आपति करने के बावजूद अदालत हाजा द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी जाना व माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन रिट पीटिशन में जिला कलक्टर,झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत जवाब में 26 अतिक्रमियों का अतिक्रमण बताया गया था। उक्त जवाब रिपोर्ट में अपीलांट के अतिक्रमण किये जाने का कोई तथ्य अंकित नहीं था, ना ही अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने के समय अतिक्रमी बताया गया था। इस प्रकार पूर्व रिपोर्ट होने के बावजूद अचानक अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली आदेश पारित करना न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं है, इसलिए आदेश 27.4.2022 खारिज होने योग्य है। अपीलांट का पुनः निवेदन है कि खसरा नंबर 422 व अपीलांट की कृषि भूमि के खसरा नंबर 4886/423 का सीमाज्ञान भू अभिलेख विभाग सीकर ई. डी.एम मशीन/जी.पी.एस. के माध्यम से करवाये, प्रार्थी सीमाज्ञान व नपती का खर्चा वहन करने को तैयार है। तथाकथित विवादित अतिक्रमण के संबंध में सक्षम विभाग के उच्चाधिकारियों की कमेटी गठित कर सीमाज्ञान नहीं करवाये जाने की सूरत तक अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित जैर बहस प्रभावशून्य घोषित किया जावे। अतः अपील निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 27.4.2022 को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि वह अतिक्रमी नहीं है। उक्त मकानात अपीलांट की स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 4886/423 में स्थित है। अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 422 से अतिक्रमण हटवाने बाबत एक जनहित याचिका सं0 14006/2020 माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में पप्पु वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखी है। इस कारण अपीलांट पर उपरोक्त अतिक्रमियों की राजनैतिक पंहुच व अधिकारियों से मिलीभगत नाजायज दबाव बनाने के लिए अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा जनहित याचिका संख्या 14006/2020 के प्रकरण के जवाब में पी.एल.पी.सी. प्रकरण संख्या 08/2021 के पत्र क्रमांक एफ/40 (पप) (प) राज/पी.एल.पीएल–8/20212514 के द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय,जयपुर में बताया गया है कि खसरा नंबर 422 एवं 4883/481 व 420 में कुल 26 अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें अपीलांट का कहीं पर भी नाम दर्ज नहीं है। अपीलांट द्वारा सीमा पर खसरा नं0 422, 4886/423 की सीमाज्ञान करवाये जाने का निवेदन करने पर भी अपीलांट का निवेदन अस्वीकार कर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर आदेश 27.04.2022 पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि उसके आवासीय मकान खसरा नंबर 4886/423 उसकी खातेदारी भूमि में बने हुये हैं, अतः भू–प्रबंध विभाग से सीमाज्ञान के उपरांत कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया तथा जनहित याचिका 14006/20 के प्रकरण में प्रस्तुत जवाब में खसरा नंबर 422 एवं 4883/421 व 420 में कुल 26 अतिक्रमियों का अतिक्रमण बताया गया है, उसमें अपीलांट का नाम नहीं होने का उल्लेख प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:00 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब के संबंध में अपने निर्णय दिनांक 27.4.2022 में जवाब को नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

मानने के संबंध में कोई विवेचना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा भी अतिक्रमण के संबंध में की गई रिपोर्ट से यह प्रतीत नहीं होता कि अतिक्रमण नया है या पुराना। विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 पहाड़ है। उक्त राज0 उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में उक्त जनहित याचिका अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 422 का सीमाज्ञान भू–अभिलेख विभाग द्वारा ईडीएम. मशीन से करवाये जाने व अपीलांट की उपस्थिति में करवाये जाने के तथ्य को नजरंदाज कर अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 27.4.2022 पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर उठाये गये आपति बिन्दुओं व जवाब के तथ्यों का आदेश दिनांक 27.4.2022 में विवेचना कर कोई फाईडिंग नहीं दी गई । ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2022 उनवानी सरकार बनाम जगदीश ढाका मु0नं0 18/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब व प्रार्थना के अनुसार अपीलांट के खर्चे पर भू–प्रबन्ध विभाग से ईडीएम/जीपीएस मशीन से नपती करवायी जाकर तमाम तथ्यों की जानकारी कर सभी बिन्दुओं पर विवेचना करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील [illegible] दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

निर्णय आज दिनांक [illegible]3.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:00
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू